झारखण्ड सरकार

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन भवन, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833201

Ph. 06582-256366, Mob. – 8987790364, E-mail:- sarandadfo@gmail.com,
dfosaranda@jharkhandmail.gov.in

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक :– 2760 दिनांकः– 31.12.2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय :– मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 में से 14.5 हे0 वनभूमि हेतु अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 2801 दिनांक 17.12.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 में से 14.5 हे0 वनभूमि हेतु अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1272 दिनांक 12.12.2018 द्वारा पृच्छित 03 बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है जो निम्नवत् हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स द्वारा दिनांक 26.12.2018 को Form – A के Part-I में 14.50 हे0 का kml file 06 patches में upload किया गया है।
2. Form – A के Part-II में C.A. Area का marked kml file upload कर दिया गया है।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि लीज क्षेत्र में 2.2476 हे0 (07 पीट्स का रकवा 1.7056 हे0 एवं रोड का रकवा 0.542 हे0) जंगल–झाड़ी वनभूमि 25.10.1980 के पूर्व से खण्डित भूमि है जिसपर 25.10.1980 के बाद वर्तमान तक खनन कार्य नहीं किया गया है एवं न ही भविष्य में लीज अवधि दिनांक 31.03.2020 तक बिना अपयोजन स्वीकृति के उक्त 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य किया जायेगा।

   (ख) 1980 के पूर्व भी खण्डित भूमि 25.480 हे0 (P.F. + R.F.+ जंगल–झाड़ी) में से 23.233 हे0 का अपयोजन स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No 10(21)2-2000-FC(pt) दिनांक 11.12.2009 के द्वारा दी गई है। उल्लेखनीय है कि शेष 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का प्रयोग माईनिंग कार्य हेतु 25.10.1980 के बाद नहीं किया गया न ही वर्तमान में किया जा रहा है, इसलिए इसे violation में प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

   (ग) पूर्व अपयोजित स्वीकृत 23.233 हे0 वनभूमि (P.F. + R.F.) में 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि को गैर वनभूमि के रूप में सम्मिलित किया गया था। चूँकि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार इस जंगल–झाड़ी का प्रयोग 1980 के बाद नही किया गया न ही भविष्य में किया जाएगा , इसलिए उनके द्वारा इसका Diversion प्रस्तावित नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि पर वर्तमान में वनस्पति है।

(घ) वर्तमान में सिर्फ अपयोजन स्वीकृत क्षेत्र 23.233 हे0 वनभूमि, सरकारी गैर मंजरूआ (G.M. Land) एवं रैयती भूमि में खनन कार्य किया जा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि वन संरक्षक के अग्रसारण पत्र के Para-12 में अंकित 2.4276 हे0 जंगल–झाड़ी के 2.2476 हे0 25.10.1980 के पूर्व खण्डित है, जिसका प्रयोग माईनिंग कार्य के लिए 25.10.1980 के बाद नहीं किया गया, न ही भविष्य में बिना अपयोजन स्वीकृति के किया जायेगा। अतः Para-12 में अंकित 2.4276 हे0 जंगल–झाड़ी में सिर्फ 0.18हे0 (2.4276हे0 – 2.2476 हे0 = 0.18 हे0) ही अपयोजन हेतु प्रस्तावित है, जिसका उपयोग अपयोजन स्वीकृति के पश्चात माईनिंग कार्य में किया जायेगा।

4. इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा Justification for the Project in forest land के Page no.- 4 of Annexure-V के BLOCK T2 का Total Area में 45400 m^2 को संशोधित करते हुए 45399 m^2 किया गया है, जिसे 07 प्रतियों में संलग्न किया जा रहा है।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1272 दिनांक 12.12.2018 द्वारा पृच्छित 03 बिन्दुओं का Online अनुपालन करते हुए Hard copy की 07 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।